फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रामप्रताप बनाम कुरजा आदि

किस्म मुकदमा 223 आरटीए **नम्बर 52 / 2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.7.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही कूदसू के खसरा नम्बर 620 तादादी 3.05 हेक्टर व वाके रोही खाड़ा के खसरा नम्बर 270 रकबा 8.24 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज चली आ रही है। आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन का फायदा उठाने की नियत से बिना अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना विधिक प्रकिया के अपनाये ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया गया है। उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली तलबी के स्तर पर जैरकार थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए रेस्पोडन्ट संख्या 1 ता 4 का विभाजन का दावा स्वीकार कर लिया गया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 15–02–2017 को विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण अर्थात अपीलांट्स को जरिये सम्मन तलब कर पत्राली आईदा दिनांक 12–05–2017 को नियत की गई थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेशिका के अनुसरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के कोई सम्मन जारी नहीं किये गये तथा निर्धारित	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 12–05–2017 से पूर्व ही दिनांक 10–05–2017 को बिना प्रतिवादीगण/अपीलांट को सम्मन जारी किये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का दावा डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना विण्कि प्रकिया को अपनाये, कानून व नियमों को ताक पर रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष दावे में ना तो किसी प्रकार की प्रकिया को अपनाया गया है ना कि बयान आदि कराये गये नाही अपीलांट को अपना पक्ष अथवा जिरह का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में ना तो अपीलांट/प्रतिवादीगण को जवाब का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही स्टेट जोकि आवश्यक पक्षकार था, का भी जवाब पत्रावली पर नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलांट व अन्य सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक निहित है ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि वाके रोही कूदसू के खसरा नम्बर 620 तादादी 3.05 हेक्टर व वाके रोही खारा के खसरा नम्बर 270 रकबा 8.24 हेक्टर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–05–2017 को विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि वाके रोही कूदसू के खसरा नम्बर 620 तादादी 3.05 हेक्टर व वाके रोही खारा के खसरा नम्बर 270 रकबा 8.24 हेक्टर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की

Scanned by CamScanner

इस्तदुआ अपील के माध्यम से की गई है।

इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न अदालत मातहत के निर्णय व आदेशिकाओं का अवलोकन किया। उक्त आदेशिकओं के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोर्डेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 15–02–2017 को विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 12–05–2017 को नियत की गई।

उक्त आदेशिका के अनुसरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रतिवादीगणों को नियमानुसार समन जारी करते हुए तलब करते। अदालत मातहत द्वारा ना तो प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब की किया गया व पत्रावली में निर्धारित दिनांक 12–05–2017 से पूर्व ही दिनांक 10–05–2017 को बिना प्रतिवादीगण/अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए दावा डिक्री कर दिया गया।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि राजस्थान सरकार द्वारा **राजस्व अभियान पक्षकारों की सुविधा के लिए समय समय पर आयेजित किये जाते रहे है। जिसका उद्वेश्य पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है ना कि राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित करना होता है।** अदालत मातहत के उक्त निर्णय के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र राजस्व कैम्प में निर्णयों की संख्या को बढ़ाने/दर्शानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से राजस्व कैम्प की मंशा के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी पक्षकार को लाभ नहीं पहुॅचना है बल्कि अनावश्यक रूप से विवाद को जन्म दिया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना विधि प्रकिया अपनाये ही उनके समक्ष प्रस्तुत दावे का निस्तारण किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत दावे में

Scanned by CamScanner

नियमानुसार हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करते हुए, जवाब दावा व तनकीयात कायम करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक लाभ पहॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत का उक्त कृत्य एक प्रकार से न्यायिक प्रकिया का माखौल उड़ाने जैसा है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्याय की यह मंशा है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा विधिक रूप से व प्रकिया को अपनाते हुए किया जावे ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में जाने से बचाया जा सके। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्याय का गला घोटतें हुए व न्यायिक प्रकिया का अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा की प्राथमिक डिक्री दिनांक 10–05–2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 04–01–2018 निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व दावे में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जवाब दावा व तनकीयात कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner